

विवरण

10-09-2020

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार

~~उवाकिम~~
अवैध पिता - पुना उराव को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के

पुत्र नुवीब द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम मच्छकट्टा खाता सं० 106 प्लॉट सं० 1747 रकबा 2.0070 वर्ग 2015-16 का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान

नुवीब वरखवा ने अपना अतिरिक्त बंधन है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज नहीं है। राजस्व उप निरीक्षक/ अंचल निरीक्षक

से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी II में उक्त भूमि के अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार ~~हल नहीं~~ है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि विषयगत भूमि ग्राम- ~~मच्छकट्टा~~ खाता नं० 106 प्लॉट नं० 1747

सर्वे खतियान में किस्म ~~अंडा जंगल~~ दर्ज है जो सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II(ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है एवं नियमितिकरण योग्य नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुरोध किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ~~उवाकिम~~ अवैध पिता - पुना उराव, ग्राम - ~~मच्छकट्टा~~ के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-

| मौजा | थाना संख्या | खाता संख्या | खेसरा संख्या | रकबा |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| मच्छकट्टा | 47 | 106 | 1747 | 2.0070 |

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II(ii) एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 के धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबन्दी को रद्द किया जाता है।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
बोलबा।

अंचल अधिकारी,
बोलबा।